(4)

(39)

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

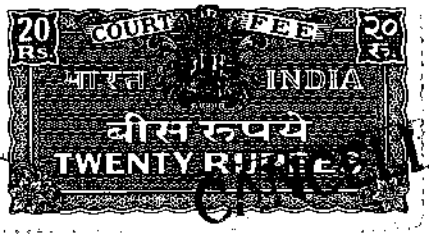

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

CANCELLED R-1607-II-14

1685

क्रमांक ______ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त

चन्द्रिका प्रसाद ब्राम्हण उम्र 59 वर्ष आत्मज जगदीश प्रसाद ब्राम्हण निवासी सकोला थाना चचाई, तहसील अनूपपुर, जिला–अनूपपुर (म0प्र0) .... निगरानीकर्ता

बनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती माया देवी पुत्री विन्धेश्वरी प्रसाद पत्नी रामदुलारे ब्राम्हण निवासी ग्राम पचौहा तहसील व थाना जैतहरी जिला अनूपपुर (म0प्र0). .... उत्तरवादीगण

श्री ... आवेदक/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत 17.4.14

अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर शहडोल संभाग

पंजी क्र. 51 17.4.14

राजस्व निगरानी
विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला–अनूपपुर म0प्र0 बसिलसिले राजस्व प्रकरण क्र.– 170/अपील/2010–11 आदेश दिनांक 19.03.2014 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0

मान्यवर,

मामले का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि निगरानीकर्ता के पक्ष में मौजा सकोला तहसील अनूपपुर स्थित आराजी खसरा नं. 53 रकवा 0.87 हे. एवं खसरा नं. 54/1ख रकवा 1.337 हे. का नामांतरण भूमि के पूर्व पट्टेदार विन्धेश्वरी प्रसाद पिता अनन्तराम ब्राम्हण द्वारा अपने स्वामित्व की उक्त आराजी जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की अर्जित शुदा सम्पत्ति है जिस पर निगरानीकर्ता का हक व हिस्सा था और वाद आराजी पर निगरानीकर्ता ही एक अरसे से कब्जा दखल में चला आ रहा था जिसके कारण स्व. बडे पिता विन्धेश्वरी प्रसाद द्वारा जरिए नामांतरण पंजी. क्र. 14 आदेश दिनांक 22.10.1984 के द्वारा नामांतरण करा दिया गया था और उक्त दिनांक से निगरानीकर्ता वाद आराजी का मालिक, भूमिस्वामी व स्वत्वधारी है तथा कब्जा दखल में स्व. विन्धेश्वरी प्रसाद के जीवनकाल से ही चला आ रहा है। जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में अपने द्वारा कराए गए नामांतरण पर कोई आपत्ति नही किए साथ ही स्व. विन्धेश्वरी प्रसाद के कोई पुरूष संतान नही थी तथा उत्तरवादी जो कि उनकी पुत्री है की शादी करीब 40 वर्ष पूर्व कर देने के कारण वह अपने ससुराल में रहती थी और विन्धेश्वरी प्रसाद तथा उनकी पत्नी यानी उत्तरवादी के पिता व मां के जीवनकाल में उत्तरवादी अपने माता पिता के पास कभी नही आई और न ही सेवा ही की बल्कि निगरानीकर्ता ही उत्तरवादी के पिता व मां के सेवा करता रहा तथा दोनो अपने जीवनकाल तक निगरानीकर्ता के पास ही रहे जिनकी सेवा परवरिश के साथ मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार व मृत्यु उपरांत सभी क्रिया कर्म निगरानीकर्ता द्वारा किए गए है जिस बात को उत्तरवादी भी जानती है और यही कारण था कि स्व. विन्धेश्वरी प्रसाद द्वारा अपने जीवनकाल में वाद भूमियों से भिन्न अन्य भूमियों के लिए वसीयतनामा का निष्पादन कराया गया था तथा उन समस्त आराजी पर भी निगरानीकर्ता का ही कब्जा दखल चला आ रहा है।

(40)

उत्तरवादी को सन् 1984 में निगरानीकर्ता के पक्ष में हुए नामांतरण की भली जानकारी थी तथा उसे यह भी जानकारी थी कि निगरानीकर्ता वाद आराजी पर बैंक से कर्ज लेकर कुंआ का निर्माण भी कराया है जिस पर उत्तरवादी की ओर से कभी कोई आपत्ति नही की गई और न ही उसके पिता द्वारा कराए गए नामांतरण के विरूद्ध कोई अपील

R 1607-II/14 निग० अ-५९४८

12-2-16	1- प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अभिभाषक श्री शैलेन्द्र अग्निहोत्री की पुकार तीन बार करायी गयी किन्तु सूचना उपरान्त उपस्थित नहीं है। चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है अतः संहिता की धारा 35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 3- आदेश की प्रति अधी. न्याया. को ~~[illegible]~~ भेजी जावे। प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा. द. हो। सदस्य